



2025: CGHC: 59649-DB  
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

वह दिनांक जब निर्णय सुरक्षित किया गया।	वह दिनांक जब निर्णय पारित किया गया।	वह दिनांक जब निर्णय वेबसाइट पर अपलोड किया गया।	
		प्रभावी	संपूर्ण
15.09.2025	09.12.2025	-----	09.12.2025

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**  
**दाण्डिक अपील संख्या 1043, वर्ष 2014**

1. गुमान पाल, आत्मज राजऊराम, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी: ग्राम-जांगड़ा, थाना-भाटापारा (ग्रामीण), जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़।
2. परसराम पाल, आत्मज जीवराखन पाल, आयु लगभग 33 वर्ष, निवासी: ग्राम-डोंगरिया, थाना-सिमगा, जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़।

-----अपीलार्थीगण

**विरुद्ध**

छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा थाना-भाटापारा शहर, जिला-बलौदा बाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़।

-----प्रत्यर्थी/राज्य

अपीलार्थी क्रमांक 1 की ओर से: श्री आदिल मिन्हाज, अधिवक्ता।

अपीलार्थी क्रमांक 2 की ओर से: श्री राहिल अरुण कोचर एवं श्री लीकेश कुमार, अधिवक्ता।

राज्य की ओर से: श्री अफरोज खान, पैनल अधिवक्ता। (सुश्री रेनू कोचर, अधिवक्ता के पक्ष में)।

**माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति रजनी दुबे**  
**माननीय श्री न्यायमूर्ति अमितेन्द्र किशोर प्रसाद**  
**सी.ए.वी. (CAV) निर्णय**

**द्वारा: रजनी दुबे, न्यायमूर्ति**

1. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के तहत यह दाण्डिक अपील विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, भाटापारा, जिला बलौदा बाजार-भाटापारा (छ.ग.) द्वारा सत्र विचारण संख्या 12/2013 में पारित आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 25.09.2014 के विरुद्ध निर्देशित है,



जिसके द्वारा अपीलार्थीगण को अपराध का दोषी ठहराया गया है और निम्नानुसार दण्डित किया गया है:-

दोषसिद्धि	दण्डादेश
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत	आजीवन सश्रम कारावास एवं ₹ 2,000/- प्रत्येक के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अंतर्गत	04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 1,000/- प्रत्येक के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास।

(दोनों सजाएं साथ-साथ/समवर्ती रूप से चलेंगी)

2. अभियोजन का मामला, जैसा कि आक्षेपित निर्णय और प्रकरण के अभिलेखों से प्रकट होता है, यह है कि वर्ष 2010 में, मृतक टीकाराम पाल ने जीवराखन पाल से ₹ 12,50,000/- में एक भूमि और मकान खरीदा था और उसे ₹ 5,40,000/- का भुगतान किया था। अभियुक्त गुमानपाल बेचे गए मकान का उपयोग मवेशियों को बांधने के लिए करता था। विवाद तब उत्पन्न हुआ जब उक्त संपत्ति मृतक के नाम पर पंजीकृत संपत्ति नहीं थी। इसलिए, इस संबंध में न्यायालय में एक दीवानी वाद दायर किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त गुमानपाल खरीदे गए घर को खाली नहीं कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त और मृतक के बीच वैमनस्य पैदा हो गया। दिनांक 15.02.2013 को टीकाराम पाल दीवानी वाद के संबंध में अपने वकील से मिलने भाटापारा आए थे, लेकिन वे घर नहीं लौटे और इसलिए, शिकायतकर्ता मुरलीधर पाल (अ.सा.-1) द्वारा प्रदर्श पी/4 के माध्यम से थाना-भाटापारा शहर में एक लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्हें अपने पिता के अपहरण के संबंध में अभियुक्त परसराम और गुमान पाल पर गहरा संदेह है।

पुलिस ने अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 56/13 के तहत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत मामला दर्ज किया। अभियुक्त गुमान पाल, परसराम पाल और चिंताराम को हिरासत में लिया गया और संदिग्ध व्यक्ति होने के कारण उनसे पूछताछ की गई। उनके बयान दर्ज किए गए जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने टीकाराम पाल की गला घोटकर हत्या कर दी है और उनके शव को चौरंगा जंगल के एक तालाब में फेंक दिया है। उनके बयानों (प्रदर्श पी/7, पी/8 और पी/9) के आधार पर, दिनांक 25.02.2013 को मृतक का



शव प्रदर्श पी/10 के माध्यम से चौरंगा तालाब से बरामद किया गया। प्रदर्श पी/11 के अनुसार, मृतक को जूट की बोरी और पत्थर से बांधा गया था, जिसकी तलाशी ली गई।

पुलिस द्वारा घटना का स्थल मानचित्र प्रदर्श पी/12 और प्रदर्श पी/13 के माध्यम से तैयार किया गया। घटनास्थल से एक जूट की बोरी और एक पत्थर जब्त किया गया तथा अभियुक्त परसराम पाल से प्रदर्श पी/15 के माध्यम से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। साथ ही अभियुक्त गुमान पाल से प्रदर्श पी/16 के माध्यम से एक मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया तथा अभियुक्त चिंताराम से प्रदर्श पी/17 के माध्यम से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया। तत्पश्चात, साक्षियों को मृत्यु समीक्षा हेतु प्रदर्श पी/1 के माध्यम से नोटिस जारी किए गए और प्रदर्श पी/2 के माध्यम से मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई। मृतक के शव के पोस्टमार्टम हेतु आवेदन प्रदर्श पी/20A के अनुसार दिया गया। मृतक की मृत्यु के संबंध में प्रदर्श पी/22 के माध्यम से देहाती मर्ग दर्ज किया गया और प्रदर्श पी/21 के माध्यम से मर्ग दर्ज किया गया। मृतक के कपड़े और विसरा कांस्टेबल जुगल किशोर से प्रदर्श पी/23 के माध्यम से जब्त किए गए।

अभियुक्तों को प्रदर्श पी/24, पी/25 और पी/26 के माध्यम से गिरफ्तार किया गया। प्रदर्श पी/29 के अनुसार, अभियुक्त व्यक्तियों के मोबाइल फोन और मृतक के मोबाइल फोन के कॉल विवरण प्राप्त किए गए, जो कि आर्टिकल A-1, आर्टिकल A-2, आर्टिकल A-3, आर्टिकल A-4 हैं। उचित और आवश्यक विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण हेतु सुपुर्द कर दिया। आरोप-पत्र में निहित सामग्री के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364, 302 और 201 के तहत कथित अपराध कारित करने के आरोप विरचित किए। अपीलार्थीगण द्वारा दोष स्वीकार न किए जाने पर उन्हें विचारण का सामना करना पड़ा।

3. अपीलार्थीगण के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध करने के लिए, अभियोजन ने कुल 16 साक्षियों का परीक्षण किया है। अपीलार्थीगण के दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए दोषारोपण से इनकार किया और अपनी निर्दोषता का प्रतिपादन करते हुए कहा कि उन्हें इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।

4. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात, विद्वान विचारण न्यायालय ने सह-अभियुक्त चिंताराम पटेल को सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया और अपीलार्थी क्रमांक 1 एवं 2/गुमान पाल एवं



परसराम पाल को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364 के अपराध से दोषमुक्त कर दिया, किंतु दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और ऊपर वर्णित अनुसार दण्डित किया। अतः यह अपील प्रस्तुत है।

5. दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश की शुद्धता और वैधता को चुनौती देते हुए, अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय त्रुटिपूर्ण, अवैध तथा तथ्यों और कानून के विपरीत है। विद्वान विचारण न्यायालय इस तथ्य का सही मूल्यांकन करने में विफल रहा है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण नहीं है और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य अपीलार्थियों को कथित अपराध के लिए दोषी ठहराने हेतु अपर्याप्त हैं, तथा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जा सके। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अटकलों और अनुमानों पर आधारित है, इसलिए यह अपास्त किए जाने योग्य है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, किसी आपत्तिजनक सामग्री की बरामदगी या किसी तथ्य का प्रकटीकरण सिद्ध नहीं हुआ है, अतः कथित अपराध के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अनुचित एवं दोषपूर्ण है; इस प्रकार अभियोजन अपना मामला उचित संदेह से परे सिद्ध करने में विफल रहा है। इसलिए, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है और अपीलार्थी उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त होने के पात्र हैं। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रवि शंकर टंडन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**<sup>1</sup> और **राजा खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**<sup>2</sup> के मामलों में पारित निर्णयों पर भरोसा किया है।

6. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलार्थियों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया और निवेदन किया कि अभियोजन ने अपना मामला उचित संदेह से परे सिद्ध किया है और विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों का सूक्ष्मता से परिशीलन किया है और तदनुसार अपीलार्थियों को कथित अपराधों के लिए सही ढंग से दोषसिद्ध किया है, तथा दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और दण्डादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

7. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और ऊपर किए गए उनके परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया तथा विद्वान विचारण न्यायालय के मूल अभिलेखों का अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ अवलोकन भी किया।

1 2024 SCC OnLine SC 526

2 (2025) 3 SCC 314



8. विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है कि उसने वर्तमान अपीलार्थियों और एक अन्य सह-अभियुक्त व्यक्ति चिंताराम पटेल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364/34, 302 और 201 के तहत आरोप विरचित किए थे। विद्वान विचारण न्यायालय ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात सह-अभियुक्त चिंताराम पटेल को उपरोक्त सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया और अपीलार्थी क्रमांक 1 तथा 2 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 364 के अपराध से दोषमुक्त किया, किंतु दोनों अपीलार्थियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 और 201 के अपराध के लिए दोषसिद्ध किया।

9. सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि क्या मृतक टीकाराम पाल की मृत्यु की प्रकृति मानववध थी या नहीं?

10. अ.सा.-15 निरीक्षक डी. के. नेताम ने कथन किया है कि 23.10.2013 को वह थाना-भाटापारा शहर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे और उन्होंने प्रदर्श पी/21 के माध्यम से मृतक टीकाराम पाल की मृत्यु के संबंध में मर्ग सूचना क्रमांक 02/2013 के रूप में मर्ग दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने 'A से A' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए और प्रदर्श पी/22 के माध्यम से देहाती मर्ग सूचना भी दर्ज की। उन्होंने प्रदर्श पी/1 के माध्यम से साक्षियों को मृत्यु समीक्षा हेतु नोटिस भी जारी किया और साक्षियों के समक्ष प्रदर्श पी/2 के माध्यम से मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (पंचनामा) तैयार की, जिसमें 'E से E' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए। मर्ग की जाँच के दौरान, उन्होंने प्रदर्श पी/20-A के माध्यम से शव परीक्षण हेतु आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने 'A से A' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए।

11. अ.सा.-1 मुरलीधर पाल, अ.सा.-5 जयप्रकाश, अ.सा.-10 रमाशंकर चौहान और अ.सा.-11 गणेश राम वर्मा ने नोटिस (प्रदर्श पी/1) और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पी/2) के 'A से A' भाग, 'B से B' भाग और 'C से C' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं।

12. अ.सा.-14 डॉ. आर.के. सिंह ने दिनांक 26.02.2013 को मृतक टीकाराम पाल के शव का पोस्टमार्टम किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:-

**बाह्य परीक्षण:-**

मृतक के शव की पहचान केजू राम, अश्विनी और आरक्षक जुगल किशोर साहू द्वारा की गई। शव पुरुष का था और उसमें आंशिक अपघटन (सड़न) शुरू हो गया था। मृतक हाफ-शर्ट, फुल-पेंट, जांघिया और बनियान पहने हुए था। कपड़े सड़े हुए ऊतकों और कीचड़ से सने हुए थे। चेहरा



सूजा हुआ था, आँखें धंसी हुई थीं, जीभ बाहर निकली हुई थी और मुँह तथा नाक से रक्त मिश्रित झाग निकल रहा था।

त्वचा की ऊपरी परत स्थान-स्थान पर उखड़ रही थी और उससे दुर्गंध आ रही थी। दोनों हथेलियाँ और तलवे विरंजन प्रभाव के कारण सफेद पड़ गए थे। मृतक का शरीर गैस से भरा हुआ था, जिससे शरीर में कड़ापन आ गया था। शरीर की सतह पर 'मार्बलिंग' (रक्त वाहिकाएं) दिखाई दे रही थी। मल का निकास हो रहा था। चेहरा पहचानने योग्य था। मृतक के शरीर पर कीटों के लार्वा मौजूद थे। सिर पर बाल नहीं थे। मृतक के शरीर पर एक गमछा था। सड़न के कारण सभी मांसपेशियाँ कोमल हो गई थीं और उनकी संरचना अस्पष्ट हो गई थी। एडिपोसिटी (वसायुक्तता) के कारण मृतक का शरीर कहीं-कहीं पीला पड़ गया था। उसे मृतक के शरीर पर निम्नलिखित चोटें मिलीं, जो इस प्रकार हैं:-

i. कपाल (scalp) के बाईं ओर 4.5 x 4 सेमी का नील मौजूद था।

ii. ठोड़ी के निचले हिस्से में 3 x 1 सेमी आकार का एक कन्ट्यूजन (भीतरी चोट) था।

iii. गर्दन के बाईं ओर थायराइड प्रॉमिनेंस क्षेत्र से जुड़ी त्वचा पर 2 x 1 सेमी का एक कन्ट्यूजन मौजूद था।

iv. गर्दन के सामने के मध्य भाग में 2 x 1.5 सेमी का एक कन्ट्यूजन मौजूद था।

v. चोट क्रमांक 04 के ठीक नीचे 0.5 सेमी व्यास का एक कन्ट्यूजन मौजूद था और उसके बगल में 1.5 x 1 सेमी का एक अन्य कन्ट्यूजन मौजूद था।

vi. गर्दन के ऊपरी बाईं ओर, थायराइड प्रॉमिनेंस के ठीक ऊपर 1.5 x 1 सेमी का एक कन्ट्यूजन मौजूद था।

कन्ट्यूजन के नीचे नील मौजूद थे, जो धब्बों के रूप में रक्त का रिसाव कर रहे थे और स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य थे।

थायराइड उपास्थि के शरीर के संपीडन के साथ थायराइड उपास्थि के बाएं ऊपरी श्रृंग का अस्थिभंग पाया गया। हाइओइड अस्थि का बायां कोर्नू खंडित था और उस क्षेत्र तथा आसपास के कोमल ऊतकों में नील मौजूद था।

उपरोक्त वर्णित चोटें ताजा थीं, जिनमें लाल रक्त के थक्कों के साथ लाल रंग का नील था। ये चोटें मृतक की मृत्यु से 12 घंटे के भीतर किसी कठोर और कुंद वस्तु से पहुंचाई गई थीं और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं।



### आंतरिक परीक्षण:-

कपाल, मस्तिष्क आवरण, दोनों फेफड़ों की झिल्लियाँ, हृदय और कर्णस्राव सड़न के कारण कोमल और ढीले हो गए थे। कपाल स्वस्थ था और मस्तिष्क भूरे रंग की लुगदी जैसे द्रव्य में बदल गया था। छाती की दोनों गुहाओं में तरल रूप में अल्प मात्रा में हीमोलिटिक रक्त मौजूद था। एथेरोस्केरोसिस के कारण हृदय की धमनियां लगभग 20% तक संकुचित हो गई थीं।

आमाशय में भूरे-धूसर रंग का गाढ़ा द्रव्य था, जो लगभग 100 मिलीलीटर की मात्रा में मौजूद था। छोटी आंत में पचे हुए भोजन की कुछ मात्रा थी और बड़ी आंत में सड़न की अल्प मात्रा थी। दोनों फेफड़े आकार में सिकुड़ गए थे और उनकी आंतरिक संरचना मध्यम अपारदर्शी थी। यकृत आकार में थोड़ा बढ़ा हुआ था और वहां हरा-काला रंग तथा स्थिर अवस्था की संरचनात्मक अपारदर्शिता थी। झिल्लियाँ हरी-काली हो गई थीं। आंतरिक अस्तर अस्पष्ट था। दोनों गुदों पर सड़न का प्रभाव था और वे पीले पड़ गए थे तथा शरीर के शेष भाग, जिनका ऊपर वर्णन नहीं किया गया है, मध्यम अपारदर्शिता के प्रभाव में थे।

उनकी राय में, मृतक की मृत्यु का कारण किसी कठोर और कुंद वस्तु से गर्दन का मृत्युपूर्व संपीडन था। आगे राय व्यक्त की गई कि मृत्यु की प्रकृति मानववध है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी/20 के माध्यम से दी।

उनके प्रतिपरीक्षण में उनके साक्ष्य पर अविश्वास करने योग्य कुछ भी नहीं निकल सका, इस प्रकार, अभियोजन इस तथ्य को युक्तिसंगत संदेह से परे सफलतापूर्वक सिद्ध करने में सफल रहा है कि मृतक टीकाराम पाल की मृत्यु की प्रकृति मानववध है। विद्वान विचारण न्यायालय ने सही पाया है कि मृतक की मृत्यु की प्रकृति मानववध है।

13. अब हमें यह सुनिश्चित करने के लिए साक्ष्यों का परीक्षण करना होगा कि क्या दोनों अपीलार्थियों ने मृतक टीकाराम पाल की हत्या की थी या नहीं।

14. यह स्पष्ट है कि यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और विद्वान विचारण न्यायालय ने भी अपने निर्णय के कंडिका 17 में निम्नलिखित परिस्थितियाँ पाई हैं, जो इस प्रकार हैं:-

"(i) अभियुक्त गुमान पाल, परसराम पाल और मृतक के बीच भूमि विवाद के संबंध में पिछली शत्रुता थी (ii) अभियुक्त गुमान पाल और परसराम पाल के बयान के आधार पर, मृतक टीकाराम पाल का शव चौरंगा तालाब से बरामद किया गया था।"



15. अ.सा.-1 मुरलीधर पाल, अ.सा.-3 बुधरू, अ.सा.-4 ओम प्रकाश तथा अ.सा.-8 दिलीप कुमार और अ.सा.-13 गरीब सिंह ने कथन किया है कि मृतक टीकाराम पाल ने जीवराखन, जो कि अभियुक्त परसराम के पिता और गुमान के चाचा हैं, से ₹ 12,50,000/- में एक भूमि खरीदी थी और उन्होंने इस संबंध में एक इकरारनामा निष्पादित किया था तथा उक्त राशि में से ₹ 5,40,000/- का भुगतान कर दिया था और शेष राशि का भुगतान उक्त संपत्ति के पंजीयन के पश्चात किया जाना तय हुआ था।

16. अ.सा.-6 एम.डी. घृतलहरे, अधिवक्ता ने कथन किया है कि मृतक टीकाराम पाल उनके पक्षकार थे और घटना के दिन वह उनसे मिलने आए थे, समय दोपहर के लगभग 12 बजे थे और वह 10 मिनट के बाद चले गए थे।

17. सभी साक्षियों ने इस तथ्य को सिद्ध किया है कि मृतक और जीवराखन, जो अभियुक्त परसराम के पिता हैं, के बीच कोई इकरारनामा निष्पादित किया गया था।

18. पुलिस ने दिनांक 25.02.2013 को दोपहर लगभग 12:30 बजे प्रदर्श पी/7 के माध्यम से अभियुक्त गुमान पाल का मेमोरेंडम कथन भी दर्ज किया है, जिसमें उसने निम्नानुसार प्रकटीकरण किया है:-

"..... चलो चलकर लाश, बोरा, पत्थर और उपयोग में लाये मोटरसाइकिल को बरामद करा देता हु "

19. पुलिस ने दिनांक 25.02.2013 को दोपहर लगभग 12:45 बजे प्रदर्श पी/8 के माध्यम से अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 परसराम पाल का मेमोरेंडम कथन भी दर्ज किया है, जिसमें उसने निम्नानुसार प्रकटीकरण किया है:-

".. चलो चलकर टीकाराम की लाश, पत्थर, बोरा और उपयोग में लाये अपनी मोटरसाइकिल को बरामद करा देता हु "

20. जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी/10) के अनुसार, मृतक टीकाराम पाल का शव दिनांक 25.02.2013 को दोपहर लगभग 14:00 बजे बरामद किया गया था और तलाशी पत्रक (प्रदर्श पी/11) के अनुसार पत्थर के दस टुकड़े बरामद किए गए थे।

21. अ.सा.-15 निरीक्षक डी. के. नेताम ने सह-अभियुक्त चिंताराम का मेमोरेंडम कथन प्रदर्श पी/9 के माध्यम से लेखबद्ध किया है। हालांकि, मृतक टीकाराम का शव अभियुक्तों के मेमोरेंडम कथन के आधार पर प्रदर्श पी/10 के अनुसार चौरंगा तालाब से बरामद किया गया था।



22. अ.सा.-16 ए.एस.आई. एल.आर. गिरी ने प्रदर्श पी/7 और प्रदर्श पी/8 के माध्यम से अभियुक्त गुमान पाल और परसराम पाल के मेमोरेंडम कथन लेखबद्ध किए हैं।

23. इस प्रकरण में, विद्वान विचारण न्यायालय ने सह-अभियुक्त चिंताराम पटेल को उनके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है।

24. अ.सा.-1 मुरलीधर पाल, मृतक टीकाराम पाल के पुत्र, ने कथन किया है कि उनके पिता दिनांक 15.02.2013 को अपने अधिवक्ता श्री एम.डी. घृतलहरे को फीस देने के लिए भाटापारा गए थे, जो उनकी ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे थे और वे देर रात तक घर नहीं लौटे, उन्होंने उनके मोबाइल फोन पर कॉल किया, लेकिन वह बंद था। 16.02.2013 की सुबह, वह भाटापारा आए और अपने रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन अपने पिता को खोजने में असमर्थ रहे। उसके बाद, उन्होंने थाना-भाटापारा शहर में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दिनांक 25.02.2013 को पुलिस ने उन्हें सूचित किया कि चौरंगा तालाब में एक अज्ञात शव मिला है, इसलिए, वह शव देखने गए और उसकी पहचान अपने पिता के शव के रूप में की तथा बताया कि उनके पिता के हाथ पर पट्टी बंधी थी और उनकी गर्दन के चारों ओर एक गमछा बंधा हुआ था। कंडिका 8 में, उन्होंने स्वीकार किया कि जब थाना-भाटापारा शहर के थाना प्रभारी डी.के. नेताम ने उन्हें तालाब में मिले शव की पहचान करने के लिए बुलाया था, उसी समय पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने ही उनके पिता की हत्या की है। कंडिका 9 में उन्होंने निम्नानुसार कथन किया:-

"जब हम लोग चौरंगा तालाब के पास पहुँचे, उसके एक-डेढ़ घंटे के बाद पुलिस वाले अभियुक्तगणों को लेकर आए थे।"

25. अ.सा.-2 अंजनी बाई, जो मृतक की पुत्रवधू है, ने कथन किया है कि दिनांक 15.02.2013 को उसके ससुर अपने अधिवक्ता से मिलने भाटापारा गए थे, लेकिन वे देर रात तक घर वापस नहीं आए। कंडिका 5 में, उसने कथन किया कि उसके पति ने उसे अज्ञात शव के बारे में सूचित किया था और यह स्वीकार किया कि वह शव देखने के लिए उनके साथ नहीं गई थी।

26. अ.सा.-3 बुधरू ने कथन किया है कि एक थाना प्रभारी हमारे पास आए, फिर वे तालाब पर गए और टीकाराम का शव देखा, उसकी गर्दन पर गला घोटने का निशान था। उसी क्षण, पुलिस ने अभियुक्तों से पूछताछ की, तब अभियुक्त गुमान ने बताया कि उसने टीकाराम का गला घोंटा था, पारस ने मृतक के पैर पकड़े थे और चिंता ने मृतक की छाती दबाई थी। अभियुक्त ने



भूमि विवाद के कारण उसके भाई की हत्या की थी। कंडिका 5 में, उसने कथन किया कि पुलिस उनके वहाँ पहुँचने के लगभग एक घंटे बाद अभियुक्तों को तालाब पर लेकर आई थी।

27. अ.सा.-9 अश्विनी पाल अभियुक्तों के मेमोरेंडम कथनों का साक्षी है, जिन्हें प्रदर्श पी/7, पी/8 और पी/9 के माध्यम से लेखबद्ध किया गया है; उसने 'A से A' भाग पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं और जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी/10) तथा तलाशी पंचनामा (प्रदर्श पी/11) के 'A से A' भाग पर भी अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। कंडिका 8 में, उसने कथन किया कि जब पुलिस मृतक की तलाश कर रही थी, तब उसे बुलाया गया था और उसी समय मृतक के पुत्र ने उसे फोन किया और बताया कि मृतक का शव तालाब में मिला है, उस समय वह सिमगा में था। कंडिका 09 में, उसने निम्नानुसार कथन किया है-

"मैं लगभग दो-ढाई बजे दिन में चौरंगा तालाब पहुँचा था। यह सही है कि जब मैं तालाब के पास पहुँचा उस समय मृतक के पुत्र मुरलीधर एवं बहुत सारे लोग थे। यह सही है कि मैं जब तालाब पहुँचा तब देखा कि मृतक का शव तालाब में उपला (पानी के ऊपर) मिला था। मेरे पहुँचने के पहले मृतक के शव को तालाब से बाहर नहीं निकाला गया था।"

कंडिका 11 में, उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि पुलिस और पुलिस की अभिरक्षा में मौजूद अभियुक्त, उसके पहुँचने के आधे घंटे बाद घटनास्थल अर्थात् चौरंगा तालाब पहुँचे थे। इसके अतिरिक्त, उसने स्वीकार किया कि जब तक पुलिस पहुँची, वह मृतक का शव और बोरी पहले ही देख चुका था। कंडिका 13 में, उसने इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्त गुमान ने तालाब के पास उसके सामने पुलिस को कुछ नहीं बताया था। उसने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया कि अभियुक्त गुमान ने उसके सामने थाने में पुलिस को बताया था कि मृतक की हत्या कर दी गई थी और उसे तालाब में फेंक दिया गया था। कंडिका 16 में, उसने आगे स्वीकार किया कि उसने शव मिलने के बाद अगली सुबह थाने में हस्ताक्षर किए थे।

28. अ.सा.-15 निरीक्षक डी.के. नेताम ने कंडिका 10 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मृतक का शव तालाब में तैर रहा था, हालांकि, उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि हमारे पहुँचने से पहले ग्रामीण तालाब के पास एकत्र हो गए थे। उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि ग्रामीण उनके पहुँचने के बाद आए थे और इसके अलावा, इस तथ्य को भी स्वीकार किया कि बरामदगी पंचनामा का एक साक्षी ग्राम जांगड़ा से था और दूसरा ग्राम बिलई डबरी से था। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि जब्ती पत्रक (प्रदर्श पी/16) की तिथि में कोई



ओवरराइटिंग (पुनर्लेखन) की गई है। हालांकि, उन्होंने इस तथ्य को निम्नानुसार स्वीकार किया-

“ यह सही है कि ओव्हर राईटिंग में मैंने भूलवश हस्ताक्षर नहीं किया है। ”

29. अ.सा.-16 ए.एस.आई. एल.आर. गिरी ने स्वीकार किया है कि मृतक का शव पानी में उतराता हुआ पाया गया था, जिसके पास कुछ पत्थर थे, और वह शव पूरी तरह से जलमग्न नहीं था। उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया कि उन्होंने अभियुक्तों का मेमोरेंडम कथन पहले ही लिख लिया था और इसलिए नोटिस जारी नहीं किए थे। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने साक्षियों से सभी दस्तावेजों पर एक साथ हस्ताक्षर करवाए थे।

30. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **रविशंकर टंडन (उपरोक्त)** के प्रकरण में कंडिका 22 से 26 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है, जो इस प्रकार है:-

"22. अतः हम यह पाते हैं कि अभियोजन यह सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है कि भाटगांव के तालाब से मृतक के शव की बरामदगी केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा दिए गए प्रकटीकरण कथन के आधार पर हुई थी और उससे पहले इस बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। आगे यह भी ध्यान देने योग्य है कि अजब सिंह (अ.सा.-18) ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसने कागजात को बिना पढ़े और वह भी पुलिस के निर्देशों पर हस्ताक्षरित किया था।

23. रामकुमार (अ.सा.-5) के साक्ष्य से यह प्रदर्शित होगा कि यद्यपि उसका कथन कुंडा पुलिस थाने में लिया गया था, परंतु उस पर हस्ताक्षर भाटगांव में किए गए थे। इस प्रकार, अभियुक्त व्यक्तियों को फँसाने के लिए इन दस्तावेजों को तैयार किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में, जहाँ तक दिनेश चंद्राकर (अभियुक्त संख्या 3) के कथन का संबंध है, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज किया गया कथन भी मृतक के शव की बरामदगी से बिल्कुल भी संबंधित नहीं है। वास्तव में, साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दर्ज उसके कथन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे किसी अभियोगात्मक तथ्य की खोज हुई हो।



24. एक अन्य पहलू जिसे नोट किया जाना आवश्यक है, वह यह है कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत अभियुक्त व्यक्तियों के मेमोरेण्डम को लेखबद्ध करने के संबंध में एकमात्र साक्ष्य तत्कालीन विवेचना अधिकारी बी.आर. सिंह (अ.सा.-16) का है। उसका प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:

*'1. ....मैंने अभियुक्त रविशंकर को हिरासत में लेने के बाद उसके मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-10 के अनुसार उसका कथन लिखा, जिसमें भाग बी से बी पर मेरे हस्ताक्षर हैं। मैंने अभियुक्त उमद का कथन उसके मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-11 के अनुसार और अभियुक्त दिनेश का कथन उसके मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-12 के अनुसार लिखा, जिसमें भाग बी से बी पर मेरे हस्ताक्षर हैं।'*

25. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि विवेचना अधिकारी (अ.सा.-16) यह बताने में विफल रहा है कि अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा ऐसी क्या जानकारी दी गई थी जिसके कारण शव की बरामदगी हुई। साक्ष्य इस बारे में भी पूरी तरह मौन है कि शव कैसे खोजा गया और तत्पश्चात कैसे बरामद किया गया। हम पाते हैं कि इसलिए, विवेचना अधिकारी (अ.सा.-16) का साक्ष्य भी विचाराधीन प्रकरण को साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के दायरे में नहीं लाता है। इस संबंध में इस न्यायालय के **असर मोहम्मद और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य<sup>3</sup> तथा बोबी बनाम केरल राज्य<sup>4</sup>** के मामलों में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया जा सकता है।

26. अतः हम पाते हैं कि अभियोजन यहाँ अपीलार्थियों के विरुद्ध किसी भी दोषारोपकारी परिस्थिति को सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है। किसी भी स्थिति में, परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि वह अभियुक्त व्यक्तियों के दोष के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष की ओर न ले जाए, जो कि वर्तमान प्रकरण में नहीं है।"

31. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राजा खान बनाम छत्तीसगढ़ राज्य<sup>5</sup>** के प्रकरण में, कंडिका 31 में निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:—

3 (2019) 12 SCC 253

4 2023 SCC OnLine SC 50

5 (2025) 3 SCC 314



"31. यह प्रश्न कि क्या बरामदगी से संबंधित साक्ष्य अभियुक्त पर दोष मढ़ने के लिए पर्याप्त है, इस न्यायालय द्वारा **बोधराज बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य** के प्रकरण में विचार किया गया था, जिसमें निम्नानुसार निर्धारित किया गया है: (एस.सी.सी. पृष्ठ 58-59, कंडिका 18)

'18.... भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में "साक्ष्य अधिनियम") की धारा 27, धारा 25 से 26 के परन्तुक के रूप में है और पुलिस अभिरक्षा में दी गई संस्वीकृति के रूप में भी कोई कथन, जो खोजे गए तथ्य से सुस्पष्ट रूप से संबंधित है, अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है। इस स्थिति पर इस न्यायालय द्वारा **राज्य (यू.टी. दिल्ली) बनाम बाल कृष्ण और मोहम्मद इनायतुल्ला बनाम महाराष्ट्र राज्य** के मामलों में संक्षेप में विचार किया गया था। शब्द "ऐसी सूचना में से उतनी" जो उसके द्वारा खोजे गए तथ्य से सुस्पष्ट रूप से संबंधित है, अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और धारा की पूरी शक्ति उन्हीं पर केंद्रित है। स्पष्ट रूप से, ग्राह्य सूचना की सीमा खोजे गए तथ्य की सटीक प्रकृति पर निर्भर होनी चाहिए जिससे ऐसी सूचना का संबंधित होना अपेक्षित है। पूर्ववर्ती धाराओं द्वारा लगाया गया प्रतिबंध संभवतः विधायिका के इस डर से प्रेरित था कि पुलिस के प्रभाव में किसी व्यक्ति को अनुचित दबाव डालकर संस्वीकृति के लिए प्रेरित किया जा सकता है। यदि प्रतिबंध हटाने के लिए केवल इतना आवश्यक हो कि संस्वीकृति में बाद में प्रस्तुत की गई किसी वस्तु से संबंधित सूचना शामिल हो, तो यह मानना तर्कसंगत लगता है कि पुलिस की समझाने-बुझाने की शक्तियाँ अवसर के अनुकूल सिद्ध होंगी, और व्यवहार में प्रतिबंध अपना प्रभाव खो देगा।

प्रावधान अर्थात् धारा 27 का उद्देश्य उन साक्ष्यों को ग्राह्य बनाना था जिन्हें इस धारा की अनुपस्थिति में पूर्ववर्ती धाराओं के परिणामस्वरूप साक्ष्य में स्वीकार नहीं किया जा सकता था। ऐसा प्रतीत होगा कि वर्तमान स्वरूप में धारा 27 के तहत किसी भी तथ्य की खोज की ओर ले जाने वाले साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए, सूचना पुलिस की अभिरक्षा में मौजूद किसी अभियुक्त से आनी चाहिए। पुलिस अभिरक्षा की आवश्यकता अत्यंत विसंगतिपूर्ण परिणाम उत्पन्न करती है और उन मामलों में बहुत से मूल्यवान साक्ष्य के अपवर्जन का कारण बन सकती है





जहाँ एक व्यक्ति, जिसे बाद में हिरासत में लिया जाता है और वह अभियुक्त बन जाता है, अपराध करने के बाद किसी पुलिस अधिकारी से मिलता है या स्वेच्छा से उसके पास या पुलिस स्टेशन जाता है और अपराध की उन परिस्थितियों का वर्णन करता है जिससे उसके द्वारा प्राप्त सूचना के परिणामस्वरूप शव, हथियार या किसी अन्य भौतिक तथ्य की खोज होती है। यह सूचना जो अन्यथा ग्राह्य है, धारा 27 के तहत अग्राह्य हो जाती है यदि सूचना पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में मौजूद व्यक्ति से नहीं आई है या पुलिस अधिकारी की अभिरक्षा में नहीं रहने वाले व्यक्ति से आई है।

जो कथन धारा 27 के तहत ग्राह्य है, वह वह है जो खोज की ओर ले जाने वाली सूचना है। इस प्रकार, जो ग्राह्य है वह "सूचना" है, जिसे सिद्ध किया जाना चाहिए न कि उस पर पुलिस अधिकारी द्वारा बनाई गई राय। दूसरे शब्दों में, अभिरक्षा में रहते हुए अभियुक्त द्वारा दी गई वह सटीक सूचना जिसके कारण वस्तुओं की बरामदगी हुई, उसे सिद्ध किया जाना चाहिए। इसलिए, अभियुक्त और अभियोजन दोनों के लाभ के लिए यह आवश्यक है कि दी गई सूचना को लेखबद्ध किया जाए और सिद्ध किया जाए, और यदि इस प्रकार लेखबद्ध नहीं किया गया है, तो साक्ष्य के माध्यम से सटीक सूचना प्रस्तुत की जानी चाहिए।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 में अंतर्निहित मूल विचार "पश्चातवर्ती घटनाओं द्वारा पुष्टि" का सिद्धांत है। यह सिद्धांत इस नियम पर आधारित है कि यदि किसी बंदी से प्राप्त सूचना के आधार पर की गई तलाशी में कोई तथ्य खोजा जाता है, तो ऐसी खोज इस बात की गारंटी है कि बंदी द्वारा दी गई सूचना सत्य है। सूचना संस्वीकृत गैर-दोषारोपकारी प्रकृति की हो सकती है, लेकिन यदि इसके परिणामस्वरूप किसी तथ्य की खोज होती है, तो यह एक विश्वसनीय सूचना बन जाती है।

अब यह सुस्थापित है कि किसी वस्तु की बरामदगी, धारा में परिकल्पित "तथ्य की खोज" नहीं है। प्रिवी काउंसिल का **पुलुकुरी कोटय्या बनाम किंग-एम्परर** में दिया गया निर्णय इस व्याख्या के समर्थन में सबसे अधिक उद्धृत प्राधिकार है कि धारा में परिकल्पित "खोजा गया तथ्य"



उस स्थान को भी समाहित करता है जहाँ से वस्तु प्रस्तुत की गई थी और उसके संबंध में अभियुक्त का ज्ञान, लेकिन दी गई सूचना सुस्पष्ट रूप से उस प्रभाव से संबंधित होनी चाहिए। [देखिए **महाराष्ट्र राज्य बनाम दामू**] निःसंदेह, साक्ष्य में स्वीकार की जाने वाली सूचना केवल सूचना के उस हिस्से तक सीमित है जो "उसके द्वारा खोजे गए तथ्य से सुस्पष्ट रूप से संबंधित" है। लेकिन ग्राह्यता प्राप्त करने के लिए सूचना को इतना खंडित नहीं किया जाना चाहिए कि वह निरर्थक या समझ से बाहर हो जाए। स्वीकार की गई सूचना की सीमा बोधगम्यता के अनुरूप होनी चाहिए। केवल यह कथन कि अभियुक्त पुलिस और साक्षियों को उस स्थान पर ले गया जहाँ उसने वस्तुएँ छिपाई थीं, दी गई सूचना का सूचक नहीं है।'

32. उपर्युक्त के आलोक में, जब पूर्व में संदर्भित माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और मापदंडों की कसौटी पर परीक्षण किया जाता है, तो वर्तमान प्रकरण में भी यह पूर्णतः स्पष्ट है कि मृतक टीकाराम पाल के पुत्र (अ.सा.-1 मुरलीधर पाल) सहित सभी साक्षियों ने स्वीकार किया है कि वे पुलिस से पहले घटनास्थल पर पहुँच गए थे। प्रदर्श पी/7, पी/8 और पी/9 के अनुसार, यह स्पष्ट है कि पुलिस ने वर्तमान अपीलार्थियों और एक अन्य सह-अभियुक्त चिंताराम का मेमोरेंडम कथन शव की बरामदगी के लिए लेखबद्ध किया है और प्रदर्श पी/10 के अनुसार शव का बरामदगी पत्रक तैयार किया गया था। इस प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने सह-अभियुक्त चिंताराम पटेल को उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया है क्योंकि उसके विरुद्ध उपरोक्त अपराध नहीं बनते थे। पुलिस अधिकारियों सहित सभी साक्षियों ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि शव पानी में तैर रहा था और तालाब में डूबा हुआ नहीं था। अतः, अभियोजन अपीलार्थियों की निशानदेही पर शव की बरामदगी सिद्ध करने में विफल रहा है और अन्य जब्त वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन और मोटरसाइकिलें अभियोजन के उपयोग की नहीं हैं; इसके अतिरिक्त, अभियोजन मोटरसाइकिलों और मोबाइल फोनों के स्वामित्व को सिद्ध करने में विफल रहा है और यह भी सिद्ध करने में विफल रहा है कि उक्त वस्तुएं प्रश्नगत अपराध से किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा, मोटरसाइकिलों पर खून का कोई धब्बा नहीं पाया गया और अभियोजन द्वारा मोबाइल फोन की लोकेशन भी सिद्ध नहीं की गई। अभियोजन अपीलार्थियों के विरुद्ध जब्ती और मेमोरेंडम को उचित संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः विफल रहा है, परंतु विद्वान विचारण न्यायालय ने इन सभी तथ्यों का सूक्ष्मता से परिशीलन नहीं किया और इसके कारण उन्हें उपरोक्त धाराओं के



तहत गलत तरीके से दोषसिद्ध किया। अतः, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष कायम रहने योग्य नहीं हैं।

33. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय अपास्त किया जाता है और अपीलार्थियों को उपरोक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

34. अपीलार्थियों के जमानत पर होने की सूचना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 481 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, अपीलार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित न्यायालय के समक्ष ₹ 25,000/- प्रत्येक का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि का एक प्रतिभू प्रस्तुत करें, जो छह महीने की अवधि के लिए प्रभावी होगा, साथ ही इस वचनबंध के साथ कि वर्तमान निर्णय के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर करने या अनुमति प्रदान करने की स्थिति में, अपीलार्थी उसकी सूचना प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे।

35. इस निर्णय की एक प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित विचारण न्यायालय को तत्काल वापस भेज दिया जाए।

सही /- (रजनी दुबे) न्यायाधीश	सही /- (अमितेन्द्र किशोर प्रसाद) न्यायाधीश
------------------------------------	--

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।